झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन खूँटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत नौढ़ी नाला पर वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू॰ 188.287 लाख (रूपये एक करोड़ अठासी लाख अठाईस हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन खूँटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत नौढ़ी नाला पर वीयर योजना निर्माण लागत राशि रू॰ 188.287 लाख (रूपये एक करोड़ अठासी लाख अठाईस हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य के नदी नालों में बहने वाले जल को रोककर नियंत्रित रूप से Gravity flow के द्वारा प्रवाहित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वीयर निर्माण की योजना अत्यंत उपयोगी है।

3. उक्त योजना के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

4. **योजना का प्राक्कलन मुख्य मंत्री जनसंवाद अंतर्गत दर्ज शिकायत (शिकायत सं0–2017–46654) के आधार पर तैयार किया गया है।**

5. इस कार्य की कुल लागत रू॰ 188.287 लाख है, जिससे 250 हे0 खरीफ एवं 60 हे0 रबी, कुल 310 हे॰ क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। योजना का इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू॰ 60737/प्रति हेक्टेयर आकलित है तथा लाभ–लागत अनुपात 10% ब्याज पर 2.31 आकलित है।

6. (क) वीयर योजना हेतु चयनित नदी/नाला पर प्रस्तावित योजना के लिए स्थल के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत रूपांकण के आधार पर योजना का विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा।

   (ख) कार्यकारी प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्य के अनुरूप मद एंव मात्रा को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।

   (ग) वीयर योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।

7. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8. जनजातीय उप योजना में प्रावधानित राशि का उपयोग अधिसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा।

9. इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जायेगा।

10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, खूँटी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

11. इस कार्य के कियान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल खूँटी/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 .... / राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / कार्य / 137 / 2016 15/1819 प्र॰स्था॰ / राँची, दिनांकः 06.07.2018
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

06/07/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
06/07/18